आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या–166 / 2022

श्रीमती शोभा देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.03.2023	यह अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक–1011 दिनांक–11.06.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामला सेविका द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने के आधार पर चयनमुक्ति से संबंधित है, जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। वादी (श्रीमती शोभा देवी) एवं इस न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाने हेतु वादी (श्रीमती शोभा देवी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुपस्थिती में ही आदेश पारित किया जा रहा है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में वादी (श्रीमती शोभा देवी) को कदाचार,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

वित्तीय अनियमितता एवं विभागीय प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने संबंधी आरोप प्रमाणित होने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा उन्हे (श्रीमती शोभा देवी) चयनमुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 2555 दिनांक 15.04.2021 में अंकित है कि ''***आँगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान प्राप्त अनियमितता के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित चयनमुक्ति आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील 45 दिनों के अंदर निदेशक के समक्ष तथा 60 दिनों के अंदर द्वितीय अपील विभागीय सचिव/अपर मुख्य सचिव के समक्ष की जायेगी।***'' उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL